



भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
Government of India/Ministry of Finance
प्रधान आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
Office of the Principal Commissioner, Central GST & Central Excise
केंद्रीय राजस्व भवन - 5, मेन रोड, रांची - 834001
Central Revenue Building-5, Main Road, Ranchi- 834001
दूरभाषन.(0651) 2330218, फैक्स न.(0651) 2332420

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

C. No. II(1)17-ET/GR.'A'/COMMR/RNC/22/ 1512

Date: 11.07.2023

विरमन आदेश

दिनांक: 11.07.2023

स्थापना आदेश संख्या DGHRD/ADC-JC/109/2023 दिनांक 09 जून 2023 को C.No.GCCO/II/3/TRAN/38/2023-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-RANCHI/6898-6937-7016 दिनांक 09 जून 2023, के तहत अपर आयुक्त (CCO), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची जोन, पटना द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश के अलोक में अपर आयुक्त को उनके नए पदस्थापन स्थान में योगदान देने के लिए निर्देश के साथ दिनांक **11.07.2023** (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र सं	उपायुक्त का नाम (श्री)	पदनाम	कर्मचारी कोड	पदस्थापन का वर्तमान स्थान	को पदस्थापित किया गया
1.	सुवेन दास गुप्ता	अपर आयुक्त	3581	केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची (मु०)	केंद्रीय माल एवं सेवा कर, अंकेक्षण, रांची एवं अतिरिक्त प्रभार अपील, रांची

यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

भवदीय,

(ह./-)

(प्रेमचन्द द्वारसिंह)

सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)
केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची (मु०)

Date: 10.07.2023

C. No. II (1)17-ET/GR.'A'/COMMR/RNC/22/ 1512

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- श्री सुवेन दास गुप्ता, अपर आयुक्त आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, उप आयुक्तालय, धनबाद को उनके प्रभार का उचित हस्तांतरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।
- अपर महानिदेशक, डी. जी. एच. आर. डी, एच. आर. एम-II नई दिल्ली।
- अपर आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, पटना-I।
- अपर आयुक्त (सी.सी. ओ), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची जोन, पटना।
- अपर आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, रांची।
- पीएओ/सीएओ सी जी एस टी और सीए क्स रांची।
- अधीक्षक (सिस्टम), सीजीएसटी और सीएक्स रांची। उनसे अनुरोध है कि तत्काल आदेश को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

11.07.23

(प्रेमचन्द द्वारसिंह)

सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)